दिनांक .....

05 3/20

वसूली प्रेषित है। परिपत्र
सरकार द्वारा। पेश कर सरकार
भुगतान तलबी कराने के अनुपालन
दिखाई दे रहे हैं। परिपत्र न-
रमन तलबी कराने हेतु प्रेषित
पत्र प्रेषित नहीं किया जा रहा है
ऐसी स्थिति में 09 R.S जाफरी
के तहत प्रकरण अपर पेशी
अपर वाकील के द्वारा किया
जाता है। वसूली की गणना
निर्गत ब्याज की जाकर वसूल
आवश्यक कार्यवाही अभिलेख पर
की जाये। निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी